

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI - 1100001 (INDIA)

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2024-प्रशासन

03 जुलाई, 2024

सेवा में,

श्री लक्ष्मन प्रसाद मद्धेशिया,
ग्रा.व पो. टेकुआटार, पुरानी बाज़ार,
थाना-रामकोला, तहसील-कसया,
जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश

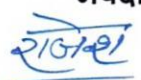
महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक - के दो पत्र इस सचिवालय 26.06.2024 को प्राप्त हुए हैं जिसमें आपने अपील आवेदन में बिंदुवार जानकारी चाही है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि आरटीआई आवेदन के तत्पश्चात ही अपील दायर कर सकते हैं। इस कारण आप के द्वारा दायर अपील अमान्य है तथा आप की दोनों अपील को दस-दस रुपये (28S 227132 एवं 75S 726002) के सलग्न नोटों के साथ यथास्वरूप आपको लौटाई जा रही है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें। आप का आवेदन मूल रूप में आप को लौटाया जा रहा है।

धन्यवाद।

भवदीय,

(राजेश कुमार शर्मा)

सेवा में,

विषय—

नोट—

1—

2—

3—

4—

श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महोदय,

~~श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महोदय,~~

~~श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महोदय,~~

जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा-19

(3) के अन्तर्गत छः विन्दुओं पर अति आवश्यक सूचना दिलाने के सम्बन्ध में।

जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत निम्न विन्दुओं पर प्रभावी कड़ी कार्यवाही हेतु जबाब 15 दिन में शीघ्र सही स्पष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए दस रुपये के नगद नोट क्रमांक संख्यासंलग्न अवलोकन कर आपके सेवा समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, कैबिनेट मंत्रीमंडल संयुक्त सचिव महोदय, श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मंत्रीमंडल कैबिनेट प्रधान सचिव महोदय, मुख्य सचिव उ०प्र०, मण्डल आयुक्त गोरखपुर, डी०एम० कुशीनगर द्वारा मेरे इन सभी मांगों को पूरा करने में घोर लापरवाही प्रशासनिक उदासीनता, तानाशाही दिखाने के आरोप में इन तीनों के विरुद्ध अभी तक अपने स्तर से कोई कार्यवाही स्वयं नहीं किये न तो अपने माध्यम से आगे प्रशासनिक प्रशासन विभाग से कोई कार्यवाही कराये न तो कार्यवाही सम्बन्धित अपने स्तर से कोई जवाब दिये।

जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, प्रेसीडेंट संयुक्त सचिव महोदय, श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी प्रेसीडेंट प्रधान, प्रमुख सचिव महोदय स्वयं अपने स्तर से मुख्य सचिव उ०प्र०, मण्डल आयुक्त गोरखपुर, डी०एम० कुशीनगर इन तीनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए प्रशासनिक प्रशासन विभाग, मंत्री मण्डल कैबिनेट, प्रधान सचिव, केन्द्रीय प्रधान सचिव, कार्मिक मंत्रालय को कोई आदेश अभी तक नहीं दिये न तो अपने स्तर से स्वयं कोई कार्यवाही ही किये न तो अभी तक स्वयं कोई जवाब दिये।

जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, कार्मिक संयुक्त सचिव महोदय, श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी केन्द्रीय प्रधान सचिव महोदय, कार्मिक मंत्रालय स्वयं अपने स्तर से मुख्य सचिव उ०प्र०, मण्डल आयुक्त गोरखपुर, डी०एम० कुशीनगर इन तीनों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये आगे अपने माध्यम से नियुक्ति कार्मिक विभाग उ०प्र० शासन से भी कोई कार्यवाही नहीं कराये तथा इस प्रकरण पर कार्यवाही हेतु कोई जवाब नहीं दिये।

जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, वी०सी० प्रेसीडेंट संयुक्त सचिव महोदय, श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, वी०सी० प्रेसीडेंट, प्रधान सचिव महोदय स्वयं अपने स्तर से मुख्य सचिव उ०प्र०, मण्डल आयुक्त गोरखपुर, डी०एम० कुशीनगर इन तीनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये प्रशासनिक प्रशासन विभाग, कार्मिक मंत्रालय को अभी तक कोई आदेश जारी हेतु कार्यवाही नहीं किये न तो स्वयं कोई जवाब दिये।

- 5- जनसुचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसुचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पी0एम0 संयुक्त सचिव महोदय, श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, पी0एम0 प्रधान प्रमुख सचिव महोदय स्वयं अपने स्तर से मुख्य सचिव उ0प्र0, मण्डल आयुक्त गोरखपुर, डी0एम0 कुशीनगर इन तीनों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये आगे अपने माध्यम से कार्मिक मंत्रायल प्रशासनिक प्रशासन नियुक्ति कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन से भी कोई कार्यवाही नहीं कराये न तो स्वयं कार्यवाही हेतु जवाब दिये।
- 6- जनसुचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसुचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, प्रशासनिक सुधार संयुक्त सचिव महोदय, श्रीमान्, केन्द्रीय लोक जनसूचना द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, केन्द्रीय प्रधान सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत कार्मिक, पेंशन मंत्रालय स्वयं अपने स्तर से अभी तक मुख्य सचिव उ0प्र0 मण्डल आयुक्त गोरखपुर, डी0एम0 कुशीनगर इन तीनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये आगे अपने माध्यम से प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग उ0प्र0 शासन, नोडल अधिकारी से भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं कराये। इस प्रकरण पर कार्यवाही हेतु कोई जवाब नहीं दे रहे है।

महोदय,

आपके केन्द्रीय लोक जनसुचना प्राधिकारी अवर सचिव के शिवाय केन्द्रीय लोक जनसुचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, संयुक्त सचिव महोदय इस प्रकरण पर अपने स्तर से कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं न तो स्वयं कोई जवाब दे रहे है। कृपया आप स्वयं इनसे पहल कर कार्यवाही कराने एवं जवाब दिलाने का कष्ट करें या स्वयं शीघ्र कार्यवाही कर अपने स्तर से जवाब देने का कष्ट करें। अन्यथा विलम्ब, घोर लापरवाही पर आप जिम्मेदार एवं जवाबदेही होंगे।

लक्ष्मण प्रसाद मद्धेशिया

भवदीय / अपीलकर्ता

लक्ष्मण प्रसाद मद्धेशिया

ग्रा0 व पो0- टेकुआटार,

पुरानी बाजार थाना-रामकोला,

तहसील-कसया, जिला- कुशीनगर(उ0प्र0)

मो0- 9654216844, 9415467639

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महोदय,
~~श्रीमान् केन्द्रीय लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महोदय,
उपराष्ट्रपति, लोक जनसूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महोदय~~

विषय- जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा-19(3) के अन्तर्गत दस विन्दुओं पर अति आवश्यक सूचना दिलाने के सम्बन्ध में।

नोट- जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत निम्न विन्दुओं पर प्रभावी कड़ी कार्यवाही हेतु जबाब 15 दिन में शीघ्र सही स्पष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए दस रुपये के नगद नोट क्रमांक संख्या संलग्न अवलोकन कर आपके सेवा समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- 1- जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत सार्वजनिक सामुहिक रूप से जनहित के क्षेत्रीय समस्या पर तीस सुत्रीय माँग पत्र महामहिम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, मा0 पी0एम0 एवं सी0एम0 महोदय के नाम सम्बोधित पत्र दिनांक 18-03-2018 को दिनांक 14-03-2022 को आपके सेवा समक्ष आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया। मेरे माँग पर स्वयं शीघ्र ध्यान और गम्भीरता से अपने संज्ञान में लेने के लिए इन सभी माँगों को पुरा कराने के लिए पहल हेतु अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये हैं। अपने माध्यम से आगे उ0प्र0 सरकार सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से क्या कार्यवाही कराये है।
- 2- जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत सार्वजनिक सामुहिक रूप से जनहित के क्षेत्रीय समस्या पर बीस सुत्रीय माँग पत्र महामहिम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, मा0 पी0एम0 एवं सी0एम0 महोदय के नाम सम्बोधित पत्र दिनांक 15-03-2022 को आप के सेवा समक्ष आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया। मेरे इस माँग पर स्वयं शीघ्र ध्यान और गम्भीरता से अपने संज्ञान में लेने के लिए इन सभी माँगों को पुरा कराने के लिए पहल हेतु अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये हैं। अपने माध्यम से आगे उ0प्र0 सरकार सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से क्या कार्यवाही कराये है।
- 3- जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत सार्वजनिक सामुहिक रूप से जनहित के क्षेत्रीय समस्या पर आठ सुत्रीय माँग पत्र महामहिम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, मा0 पी0एम0 एवं सी0एम0 महोदय के नाम सम्बोधित पत्र आपके सेवा समक्ष आपके कार्यालय में दिनांक 03-02-2023, दिनांक 29 व 30-01-2024 को प्रस्तुत किया। मेरे इस माँग पर स्वयं शीघ्र ध्यान और गम्भीरता से अपने संज्ञान में लेने के लिए इन सभी माँगों को पुरा कराने के लिए पहल हेतु अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये हैं। अपने माध्यम से आगे उ0प्र0 सरकार सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से क्या कार्यवाही कराये है।
- 4- जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत इन सभी माँगों पर केन्द्र के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, पी0एम0 कार्यालय, कैबिनेट मंत्रीमण्डल, सचिवालय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय से कुल 60 पत्र मुख्य सचिव उ0प्र0 को प्राप्त हुए हैं। इन्होंने आपके किसी पत्र को स्वयं शीघ्र, गम्भीरता से अपने संज्ञान में लेने का प्रयास इसका समुचित अनुपालन हेतु मेरे सभी माँग पुरा कराने के लिये स्वयं अपने स्तर से पहल हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये। मेरे इन सभी माँगों पर अपने लिखे पत्र का समुचित अनुपालन कराने के लिए आप अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये हैं। अपने माध्यम से आगे सी0एम0 महोदय से क्या कार्यवाही कराये है।
- 5- जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत इन सभी माँगों पर अपर मुख्य प्रमुख सचिव, पंचायती राज उ0प्र0 को पाँच पत्र राजभवन, सी0एम0 मुख्य सचिव, राज्य सूचना आयोग कार्यालय से प्राप्त हुआ। अभी तक इसके समुचित अनुपालन हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये। मेरे इन सभी माँग को पुरा कराने के लिए अपने स्तर से स्वयं पहल एवं प्रयास नहीं किये। आप इसका समुचित अनुपालन एवं मेरी माँग पुरा कराने के लिये इनके विरुद्ध अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये हैं। अपने माध्यम से आगे सी0एम0 महोदय से क्या कार्यवाही कराये है।
- 6- जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग प्रमुख सचिव, राजस्व प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग को मा0 सी0एम0 एवं मुख्य सचिव को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ मा0 सी0एम0 एवं मुख्य सचिव से इन तीनों अधिकारियों को आदेश जारी कराने के लिए आप स्वयं अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये हैं। आगे अपने माध्यम से सी0एम0 मुख्य सचिव उ0प्र0 से क्या कार्यवाही कराये है।
- 7- जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत टेकुआटार, रामबर बुजुर्ग, परवरपार, सिधावे इन चारों ग्राम सभाओं में प्रमुख सचिव व पंचायती राज प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास प्रमुख सचिव राजस्व उ0प्र0, मण्डल आयुक्त गोरखपुर, डी0एम0, एस0पी0, सी0डी0ओ, सी0एम0ओ0, डी0एस0ओ0, डी0पी0आर0ओ0, डी0एफ0ओ0, जिला समाज कल्याण अधिकारी कुशीनगर इस सभी अधिकारियों को दो दिवसीय कैम्प के लिए वर्ष 2015 से प्रत्येक माँग पत्र में

DSR/865
26.06.2024

दल
चमक
18

इसका हवाला देकर आपसे माँग करते आ रहे हैं। आप स्वयं अपने स्तर से इन सभी अधिकारियों को प्रवास कराने के लिए क्या कार्यवाही किये। आगे अपने माध्यम से सी०एम० मुख्य सचिव से क्या कार्यवाही कराये हैं।

- 8- जनसुचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत मुख्य सचिव उ०प्र० के इशारे पर मण्डल आयुक्त गोरखपुर डी०एम०, सी०डी०ओ०, सी०एम०ओ०, डी०एस०ओ०, डी०पी०आर०ओ० व अन्य विभाग के अधिकारी आप के पत्र मेरे माँगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं न तो इस पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं। न तो कोई जवाब दे रहे हैं। सिर्फ घोर लापरवाही कर प्रशासनिक उदासीनता तानाशाही दिखा रहे हैं। फर्जी मुकदमें में फसाने की धमकी दे रहे हैं। आप स्वयं इस पर क्या कार्यवाही किये हैं। आगे अपने माध्यम से सी०एम० से क्या कार्यवाही कराये हैं।
- 9- जनसुचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत मुख्य सचिव उ०प्र० के इशारे पर मण्डल आयुक्त गोरखपुर, डी०एम० कुशीनगर के घोर लापरवाही प्रशासनिक उदासीनता तानाशाही कारनामों पर आपके लिखे पत्र का खुले आम उलंघन कर धज्जिया उड़ाने पर इन सभी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए दिनांक 22/04/2022 व 15/03/2022 व 10/08/2022 व 12/06/2022 व 01/08/2022 व 31/06/2022 व 03/02/2023 को आपके सेवा समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत किये आप स्वयं अपने स्तर से इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये हैं। आगे अपने माध्यम से कार्मिक मंत्रालय, केन्द्रीय प्रधान सचिव से नियुक्ति कार्मिक विभाग उ०प्र० शासन से क्या कार्यवाही कराये हैं।
- 10- जनसुचना अधिकार कानून अधिनियम 2005 के तहत धारा 19(3) के अन्तर्गत पी०एम०ओ० पी०जी० में प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग में 9 बार इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये रजिस्ट्रेशन फाइल तैयार कर रखा गया है। इस पर आप स्वयं अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये हैं। आगे अपने माध्यम से नोडल अधिकारी, सी०एम० संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत, कार्मिक पेंशन उ०प्र० शासन से सी०एम० कार्यालय, लोक शिकायत विभाग अनुभाग से क्या कार्यवाही कराये हैं इस पर आप स्वयं जवाब दीजिए। सी०एम० मुख्य सचिव कार्यालय में आई०टी०आई० अपील दाखिल करने पर बिना कार्यवाही किये बिना संज्ञान लिये कार्यवाही एवं जवाबदेही से बचने के लिए वापस टुकरा दिया जा रहा है। कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस गम्भीर प्रकरण को संज्ञान में लेने के लिए आप क्या कार्यवाही किये हैं।

अतः आप श्रीमान् जी से सादर अनुरोध है कि पूरे प्रकरण पर स्वयं ध्यान देकर अपने स्तर से स्वयं कार्यवाही कर अपने स्तर से सही जवाब देने उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा विलम्ब घोर लापरवाही पर आप स्वयं जवाबदेही के लिए जिम्मेदार व कार्यवाही के भागी होंगे।

लक्ष्मण प्रसाद मद्देशिया
भवदीय/अपीलकर्ता

लक्ष्मण प्रसाद मद्देशिया

ग्रा० व पो०- टेकुआटार,

पुरानी बाजार थाना-रामकोला,

तहसील-कसया, जिला- कुशीनगर(उ०प्र०)

मो०- 9654216844, 9415467639

